

अय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग ।

सं०-108 / 2021

धारा-144 दं०प्र०स०

श्री राम साहु -बनाम- जगरनाथ यादव वगै०

2

अ	-आदेश:-	अभियुक्ति
	<p>वाद काल बाधित हो चुका है। वाद की कार्यवाही बिना प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित 22/10/21 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग</p> <p>22/10/21 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग</p>	